सं.41015/3/2024-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
`ए` विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001

दिनांकः 09 अगस्त, 2024

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषयः सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को आपदा/प्राकृतिकविपत्ति/बडी दुर्घटनाओं से संबधित फुटेज के प्रसारण संबंधी एडवाइजरी

प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा वर्तमान में घटित आपदाओं/प्राकृतिक विपत्तियों/ बड़ी दुर्घटनाओं के कवरेज के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाता है। यह देखा गया है कि जब भी कोई आपदा/प्राकृतिक विपत्ति/बड़ी दुर्घटना होती है, टीवी चैनल कई दिन तक लगातार कवरेज प्रदान करते है पंरतु वे वर्तमान समय की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाली फुटेज के स्थान पर घटना घटित होने के दिन की या पहले की कोई फुटेज बार-बार दिखाते हैं जिसके परिणामस्वरूप दर्शकों में दुविधा और आंतक का सृजन होता है।

2. अतः दर्शकों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को टालने के लिए, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को यह सलाह दी जाती है कि वे आपदाओं/प्राकृतिक विपत्तियों/ बड़ी दुर्घटनाओं के विजुअल में फुटेज के शीर्ष पर **`समय और तिथि` की स्टाम्प** प्रमुख रूप से दिखाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों को प्रसारित की जा रही फुटेज की वास्तविक तारीख और इस तथ्य की जानकारी मिलेगी कि यह घटनास्थल की वास्तविक समय स्थिति (रियल टाइम पोजीशन) को चिन्हित नहीं करता है। इसके अलावा, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल को ऐसी घटनाओं को प्रसारित करते समय कार्यक्रम संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने की सख्त हिदायत दी जाती है।

3. इसे समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुभव
9/8/24

(अनुभव सिंह)
ओएसडी (बीसी एंड एनएमसी)
दूरभाषः 23386394
ईमेलः dirbc-moib@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगठन/निकाय
3. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल